उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-62/1249/एक-1-2016-5(49)/2016

लखनऊ: दिनॉक: 21 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 231 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौतमबुद्धनगर	सदर	दनकौर	हल्दौना	102	0.185	औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु
2					103	0.036	
3					104	0.025	
4					292 मि0	2.339	
5					295	0.079	
6					305	0.101	
7					307	0.093	
8					331	0.253	
9					344 मि0	0.367	
10					348	0.019	
11					349	0.010	
12					355	0.039	
13					357	0.013	
14					360	0.024	
15					361	0.018	
16					363	0.095	
17					365	0.008	

shasnadesh.up.nic.in

18					366	0.013	
19					368	0.006	
20					369	0.051	
21					371	0.031	
22					379	0.040	
23					383	0.057	
24					389	0.023	
25					390	0.046	
26					399	0.020	
27					401	0.018	
28					404	0.094	
29					405	0.039	
30					409 मि0	0.031	
31					412	0.028	
32					418 मि0	0.026	
33					419 मि0	0.045	
34					426	0.389	
35					427	0.196	
36					428	0.106	
37					429	0.040	
38					432	0.038	
39					459	0.106	
40					470	0.127	
41					471	0.063	
42					472	0.329	
43					477	0.082	
44					485	0.046	
45					488	0.316	
46					502	0.027	
47					508	0.024	
48					511	0.044	
49					513	0.080	

shasnadesh.up.nic.in

50					517	0.342	
51					528	0.053	
52					547	0.023	
53					548	0.047	
54					551	0.049	
55					569	0.064	
56					604	0.028	
57					608	0.039	
58					611	0.253	
59					616	0.051	
60					617	0.094	
61					619 मि0	0.645	
62					622 मि0	0.025	
63					623 मि0	0.013	
64					631	0.108	
65					636	0.415	
66					644 मि0	0.021	
67					653	0.368	
68					654	0.150	
69					665	0.031	
				योग	**कुल 69 गाटा**	**9.104हे0**	

2. इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. यह भी अपेक्षित है कि शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 के अनुसार भूमि की कीमत ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो तथा उक्त भूमि

shasnadesh.up.nic.in

की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वॉछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। ग्राम सभा की उक्त भूमि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी ।

4. ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के उपयोगार्थ सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा-चकरोड, सेक्टर रोड, रास्ता, नाली नलकूप व नाली की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा चकरोड, सेक्टर रोड व रास्ता की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ग्रामवासियों का आवागमन बाधित नहीं करेंगे तथा नाली नलकूप व नाली के माध्यम से हो रहे सिंचाई की सुविधा तथा पानी के नैसर्गिक बहाव को भी अवरूद्व नहीं करेंगे। उक्त सभी शर्तो का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1249(2)/एक-1-2016-5(49)/2016 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
4. जिलाधिकारी, गौतमबुद्वनगर को उनके पत्र संख्या-1411/डीएलआरसी/पुनर्ग्रहण-2008, दिनॉक 03.05.2008 के सन्दर्भ में।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एच0 169, सेक्टर गामा, ग्रेटर नोयडा, जनपद गौतमबुद्वनगर ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in